न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021 / 19

रामचन्द्र पुत्र स्व0 गोविन्द लाल आयु 71 वर्ष जाति सुनार निवासी बडे मंदिर के पास ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. कैलाश चन्द पुत्र स्व0 गोविन्द लाल आयु 59 वर्ष जाति सुनार निवासी बडे मंदिर के पास ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 2021 / 20

रामचन्द्र पुत्र स्व0 गोविन्द लाल आयु 71 वर्ष जाति सुनार निवासी बडे मंदिर के पास ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. कैलाश चन्द पुत्र स्व0 गोविन्द लाल आयु 59 वर्ष जाति सुनार निवासी बडे मंदिर के पास ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री द्वारका लाल नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

<u>निर्णय</u> दिनांकः 08.10.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 27.08.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.12.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा एक अपील प्रारम्भिक डिक्री की एवं दूसरी अपील अंतिम डिक्री की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रामपुरिया तहसील रामगंजमण्डी में वादी एवं प्रतिवादी कम 01 के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 92 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मु0 चाह, खसरा नम्बर 93 रकबा 3.31 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 94 रकबा 0.07 हैक्टर कुल 03 किता की रकबा 3.39 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी कम 01 का 1/2 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादग्रस्त आराजी का विभाजन नहीं होने से लगान एवं बैंक से ऋण लेने में परेशानी होती है । वादी को अधिकार है कि वे वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करावें और पृथक–पृथक लगान कायम करावें ।

4. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य उनके हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी कम 01 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वे वादी को प्राप्त होने वाली भूमि में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें ।

5. प्रतिवादी कम 01 द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया । काउन्टर क्लेम में प्रतिवादी कम 01 ने ग्राम उम्मेदपुरा में स्थित कुल 05 किता की रकबा 1.03 हैक्टर का भी विभाजन करने का कथन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.08.2019 के द्वारा वाद वादी एवं प्रतिवादी कम 01 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अंशतः स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की । तत्पश्चात् प्रारम्भिक डिक्री के उपरान्त दिनांक 30.12.2020 को अंतिम डिक्री पारित की ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 27.08.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.12.2020 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में दोनों अपीलें प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना केवल मात्र उनके अभिभाषक की सहमति के आधार पर रिकॉर्ड एवं साक्ष्य के तथ्यों के

प्रतिकूल जाकर उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करते समय राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 27.08.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.12.2020 निरस्त फरमाये जावें ।

8. अपीलान्ट ने अपील संख्या 21/20 में अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट वृद्ध व्यक्ति है इसलिए उनके अभिभाषक ने कोराना महामारी के कारण प्रत्येक पेशी पर आने से मना कर दिया था और आवश्यकता होने से सूचित करने के लिए कहा था परन्तु उनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट की खसरा नम्बर 93 के उत्तरी हिस्से पर जब कब्जा करने की कोशिश की तो प्रार्थी दिनांक 05.01.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में गया और जानकारी की तो सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई जिस पर दिनांक 06.01.2021 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और नकल प्राप्त कर यह अपीलें प्रस्तुत की गई हैं । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई है । अपील अपीलान्ट संख्या 2021/20 सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज दर्ज रजिस्टर की गईं । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में केवल ग्राम रामपुरा की आराजी के विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया जिसका जवाब मय काउन्टर क्लेम अपीलान्ट के द्वारा पेश किया गया और कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी के अलावा ग्राम उम्मेदपुरा की भी कुल 05 किता की 1.03 हैक्टर आराजी अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट के सम्मिलित खाते में स्थित है । दोनों का विभाजन किया जाना आवश्यक है । जवाबदावे में यह भी कथन किया गया है कि आपसी सहमति से बंटवारा हो चुका है । दिनांक 04.02.2019 को तनकीयात कायम की गई, साक्ष्य वादी लेखबद्ध किये बिना अपीलान्ट की अनुपस्थिति में दोनों अभिभाषकों की सहमति व्यक्त करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी । अपीलान्ट को सूचना दिये बिना एडवोकेट की सहमति के आधार पर रिकॉर्ड के विपरीत निर्णय पारित किया गया है । तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है । किसी प्रकार का पक्षकारों के मध्य राजीनामा नहीं हुआ है । तहसीलदार के द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किये गये हैं । विभाजन प्रस्ताव पर सिर्फ रेस्पोडेन्ट के हस्ताक्षर करवाये गये हैं । अपीलान्ट के समक्ष विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किये गये हैं । राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । पक्षकारों के कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 27.08.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.12.2020 निरस्त फरमाये जावें । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 1998 (एससी) पेज 3222, आरआरडी 2003 पेज 193 उद्वरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायलय में उभय पक्षकारान की सहमति के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है और उसके पश्चात् राजस्व मण्डल नियमों की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर अंतिम डिक्री पारित की है । अभिभाषक की सहमति पक्षकार की सहमति मानी जाती है और उसको चैलेंज करने का

अपीलान्ट को कोई अधिकार नहीं है । काउन्टर क्लेम में जिस आराजी का उल्लेख किया गया है उसको शामिल करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है और उसी के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की गई है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 223 उद्दरत की ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. परीक्षण न्यायालय में वादी कैलाश चन्द के द्वारा एक दावा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का ग्राम रामपुरिया तहसील रामगंजमण्डी की आराजी कुल 03 किता की रकबा 3.39 हैक्टर भूमि के बाबत् पेश किया था । इस दावे के जवाबदावे एंव काउन्टर क्लेम में प्रतिवादीगण ने ग्राम उम्मेदपुरा की आराजी के भी विभाजन की प्रार्थना की । पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2073–76 ग्राम उम्मेदपुरा के अनुसार कुल 05 किता की रकबा 1.03 हैक्टर आराजी में वादी कैलाश चन्द का 1/2 हिस्सा और प्रतिवादी रामचन्द्र का 1/2 हिस्सा दर्ज है और ग्राम सलावदखुर्द की सम्वत् 2074–77 की नकल जमाबन्दी नया खाता संख्या 124 के अनुसार 03 किता की 3.39 हैक्टर आराजी में वादी और प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.08.2019 के अनुसार बोर्ड के नियमानुसार विभाजन हेतु पक्षकारों के अभिभाषकगण ने सहमति व्यक्त की है । सहमति के आधार पर दोनों गॉवों की आराजी पक्षकारों के मध्य मीट एण्ड बाउन्स के आधार पर खाते विभाजन की डिक्री पारित की है । यह प्रारम्भिक डिक्री दोनों पक्षकारों के अभिभाषक की सहमति के आधार पर दोनों गॉवों में स्थित आराजी के बाबत् राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार पारित की गई है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । हम विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि अभिभाषक की सहमति के आधार पर निर्णय पारित किये जाने में त्रुटि की है पक्षकारों की सहमति नहीं थी । जब पक्षकारों की ओर से अभिभाषक ने सहमति व्यक्त की है तो वह पक्षकारों की सहमति ही मानी जावेगी । तद्नुसार अपील अपीलान्ट विरूद्ध प्रारम्भिक डिक्री खारिज होने योग्य है ।

14. जहॉ तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है पत्रावली पर संलग्न बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया । बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं जबकि राजस्व मण्डल नियमों के अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने चाहिए । बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं हैं और ऐसा भी अंकित नहीं किया गया है कि अपीलान्ट को नोटिस दिये गये और उनके द्वारा मौके पर आने से इंकार किया गया । इस प्रकार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्दरत नजीर यहॉ चस्पा नहीं होती है क्योंकि इसके उपरान्त माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि अंतिम डिक्री हेतु बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर तैयार करेंगे । इन तथ्यों के आधार पर अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट संख्या 2021/20 विरूद्ध प्रारम्भिक डिक्री सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 27.08.2019 बहाल रखा जाता है ।

16. अपील अपीलान्ट संख्या 2021/19 विरूद्ध अंतिम डिक्री आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 30.12.2020 को खारिज किया जाता है । पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में पुनः बंटवारा प्रस्ताव तहसील से प्राप्त कर बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 22.112021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

17. निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/10/21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2021 / 19

रामचन्द्र पुत्र स्व0 गोविन्द लाल आयु 71 वर्ष जाति सुनार निवासी बडे मंदिर के पास ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. कैलाश चन्द पुत्र स्व0 गोविन्द लाल आयु 59 वर्ष जाति सुनार निवासी बडे मंदिर के पास ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

अपील संख्या : 2021 / 20

रामचन्द्र पुत्र स्व0 गोविन्द लाल आयु 71 वर्ष जाति सुनार निवासी बडे मंदिर के पास ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. कैलाश चन्द पुत्र स्व0 गोविन्द लाल आयु 59 वर्ष जाति सुनार निवासी बडे मंदिर के पास ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 27.08.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.12.2020 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

191/दावा/2017

कैलाश चन्द पुत्र स्व0 गोविन्द लाल आयु 59 वर्ष जाति सुनार निवासी बडे मंदिर के पास ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

––वादी

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र स्व0 गोविन्द लाल आयु 71 वर्ष जाति सुनार निवासी बडे मंदिर के पास ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 27.08.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.12.2020 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 08.10.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री द्वारका लाल नागर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री रविन्द्र खण्डेलवाल के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया अपील अपीलान्ट संख्या 2021/20 विरूद्ध प्रारम्भिक डिक्री सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 27.08.2019 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 08.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

8/10/2021

(भागवंती जेठवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा